*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो० (जल पर्षद)–16–01/2014 134 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक–29/3/19

विषयः– विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 को रद्द करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹4100.00 लाख (एकतालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय संकल्प सं०– 2690, दिनांक– 16.05.2018 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद का विलय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विलयन विभागीय अधिसूचना संख्या– 3092, दिनांक– 15.11.2018 के आलोक में दिनांक– 30.11.2018 के अपराह्न से प्रवृत्त है। उक्त विलयन के पश्चात् बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) में कार्यरत पदाधिकारी, अभियंता, कर्मी आदि के वेतनादि का दायित्व बुडको का है।

2. विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं०– 3092, दिनांक– 15.11.2018 के कंडिका– 4 में उल्लेखित है कि *''बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का उन्हें अनुमान्य सेवाशर्त के अनुसार वेतनादि का भुगतान बुडको की निधि से दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। एक वर्ष के बाद बुडको को अनुदान दिए जाने के संबंध में समीक्षा की जाएगी।''*

3. तद्नुसार प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 1328, दिनांक– 25.03.2019 द्वारा बुडको में कार्यरत पदाधिकारी, अभियंता, कर्मी आदि के वेतनादि एवं स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही पूर्व में आवंटित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया गया था, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था, जिसकी निकासी प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा की जानी थी।

4. महाप्रबंधक (वित्त), बुडको के पत्रांक– 1391, दिनांक– 28.03.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि बुडको का DDO Code बना नहीं है, जिसे बनने में समय लग सकता है। इसके कारण दिनांक– 31.03.2019 तक राशि की निकासी किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही राशि की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

5. तद्नुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं महाप्रबंधक (वित्त), बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको के अधीन पटना शहर के ड्रेनेज पम्पिंग प्लाटों आदि के रख रखाव, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित करने हेतु निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 को रद्द किया जाता है।

6. तद्नुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 173 दिनांक– 29/3/19 के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको के अधीन पटना शहर के ड्रेनेज पम्पिंग प्लाटों आदि के रख रखाव, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी विभाग स्तर पर करते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को हस्तांतरित करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख म)

क्र० सं०	संस्था का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कुल राशि	पूर्व में प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5–6)	द्वितीय किस्त के रूप में आवंटित कुल अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको)	48-2217050010008	0007.31.06	3000.00	1500.00	1500.00	1500.00
			योग	**3000.00**	**1500.00**	**1500.00**	**1500.00**

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र।

7. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 8 में आवंटित कुल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी **प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कोषागार संहिता– 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 257, दिनांक– 26.02.2019 (तृतीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक–

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

10. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 8 में आवंटित कुल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड– **48-2217050010008,** विषय शीर्ष– 0008.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन से की जायेगी।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. राशि के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 09.10.2018 के मद संख्या– 24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 134 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/3/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई०–मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 173 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 29/3/19

विषयः– विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 को रद्द करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹4100.00 लाख (एकतालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय संकल्प सं०– 2690, दिनांक– 16.05.2018 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद का विलय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विलयन विभागीय अधिसूचना संख्या– 3092, दिनांक– 15.11.2018 के आलोक में दिनांक– 30.11.2018 के अपराह्न से प्रवृत्त है। उक्त विलयन के पश्चात् बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) में कार्यरत पदाधिकारी, अभियंता, कर्मी आदि के वेतनादि का दायित्व बुडको का है।

2. विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं०– 3092, दिनांक– 15.11.2018 के कंडिका– 4 में उल्लेखित है कि *''बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का उन्हें अनुमान्य सेवाशर्त के अनुसार वेतनादि का भुगतान बुडको की निधि से दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। एक वर्ष के बाद बुडको को अनुदान दिए जाने के संबंध में समीक्षा की जाएगी।''*

3. तद्नुसार प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 1328, दिनांक– 25.03.2019 द्वारा बुडको में कार्यरत पदाधिकारी, अभियंता, कर्मी आदि के वेतनादि एवं स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही पूर्व में आवंटित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया गया था, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था, जिसकी निकासी प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा की जानी थी।

4. महाप्रबंधक (वित्त), बुडको के पत्रांक– 1391, दिनांक– 28.03.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि बुडको का DDO Code बना नहीं है, जिसे बनने में समय लग सकता है। इसके कारण दिनांक– 31.03.2019 तक राशि की निकासी किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही राशि की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

5. तद्नुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं महाप्रबंधक (वित्त), बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको के अधीन पटना शहर के ड्रेनेज पम्पिंग प्लाटों आदि के रख रखाव, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित करने हेतु निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०– 168, दिनांक– 27.03.2019 एवं आवंटनादेश सं०– 129, दिनांक– 27.03.2019 को रद्द किया जाता है।

6. तद्नुसार उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको के अधीन पटना शहर के ड्रेनेज पम्पिंग प्लाटों आदि के रख रखाव, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी विभाग स्तर पर करते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को हस्तांतरित करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख म)

क्र० सं०	संस्था का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कुल राशि	पूर्व में प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5–6)	द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको)	48-2217050010008	0007.31.06	3000.00	1500.00	1500.00	1500.00
			योग	**3000.00**	**1500.00**	**1500.00**	**1500.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

7. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 8 में स्वीकृत कुल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी **प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कोषागार संहिता– 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 257, दिनांक– 26.02.2019 (तृतीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया

जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

10. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 8 में स्वीकृत कुल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड– **48-2217050010008,** विषय शीर्ष– 0008.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन से की जायेगी।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. राशि के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 09.10.2018 के मद संख्या– 24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 के पृष्ठ सं०–139/टि० पर दिनांक–29.3.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–139/टि० पर दिनांक–29.3.19 को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 173 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/3/19

प्रतिलिपि:– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई०–मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.19

सरकार के विशेष सचिव।